


रीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही इनिशियल जज
प्र० सं० 13/2023 किरोरीखाल vs 500 बाडी

नम्बर व तारीख
अहकाम जो
इस हुक्म की
तामील में जारी
हुये

21.08.2023

आज यह पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी उपस्थित नहीं। प्रार्थी ने यह स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र न्यायालय उप खण्डाधिकारी बाडी में विचाराधीन प्रकरण संख्या 26/2019 उनवानी रामकौर बनाम किरोरी वगैरा को अन्य किसी समकक्ष राजस्व न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने हेतु पीठासीन अधिकारी श्री गिरधरलाल मीणा, उपखण्ड अधिकारी बाडी के विरुद्ध पेश किया था तथा आगामी आदेश तक प्रकरण में कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं करने हेतु उपखण्ड अधिकारी बाडी को आदेशित किया गया था। चूंकि पीठासीन अधिकारी श्री गिरधरलाल मीणा, उपखण्ड अधिकारी बाडी का स्थानान्तरण धौलपुर हो चुका है जिसके कारण यह प्रार्थना पत्र अब सारहीन हो जाता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन हो जाने के कारण इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। उक्त आदेशिका की प्रति उपखण्ड अधिकारी बाडी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दालिख दफतर हो। आदेश सुनाया गया।


(अनिल कुमार अग्रवाल)
जिला कलक्टर